कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

पत्रांक :2147 /मु0वि0प्रा0/अभियन्त्रण खण्ड(वि0/यॉ0)/2026–27 दिनांक : 30/10/2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न तालिका के क्र0 सं0 01, 02, 03 व 04 पर अंकित कार्य हेतु किसी भी राजकीय विभाग/निगम/प्राधिकरण/अभिकरण/परिषद में पंजीकृत फर्मो/ठेकेदारों से टू–बिड पद्धति पर सपठित नियम व शर्तो के अधीन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ई–निविदायें तालिका के कॉलम सं0 (8) में अंकित तिथि व समय तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी तथा प्राप्त निविदाएं कॉलम सं0 (9) में अंकित तिथि व समय पर खोली/डाउनलोड की जायेंगी।

S. No.	Name of work	Estimated cost (Rs.In Lacs)	Earnest Money (Rs.)	Cost of bid document/e-Tender processing fee+18%GST (Rs.)	Work Period (Months)	Category of Bidder	Last Date/Time of uploading of e-tender document	Date & place of operating Technical bid/Pre-qualification part though E-tender procurement solution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	नया मुरादाबाद योजना के सेक्टर–09 स्थित ईको हर्बल पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु डेकोरेटिव विद्युत पोल एवं एल0ई0डी0 लाईट लगाये जाने सम्बन्धित विद्युतीकरण का कार्य।	173.22	3,46,500.00	5000+900	06 माह	"विशिष्ट श्रेणी"	दिनांक 12.11.2026 को सायं 05 : 00 बजे तक	दिनांक 13.11.2026 को पूर्वान्ह 11 : 00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल
2.	आशियाना योजना स्थित अम्बेडकर पार्क से रामगंगा विहार वेव सिनेमा तक 24 मीटर मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	87.02	1,74,100.00	5000+900	04 माह	"विशिष्ट श्रेणी"	दिनांक 12.11.2026 को सायं 05 : 00 बजे तक	दिनांक 13.11.2026 को पूर्वान्ह 11 : 00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल
3.	मुरादाबाद से कांठ को जाने वाले मार्ग पर अगवानपुर स्थित ओवर ब्रिज पर पथ प्रकाश व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य।	73.99	1,48,000.00	5000+900	04 माह	"विशिष्ट श्रेणी"	दिनांक 12.11.2026 को सायं 05 : 00 बजे तक	दिनांक 13.11.2026 को पूर्वान्ह 11 : 00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल
4.	नया मुरादाबाद योजना के विभिन्न सेक्टरों के अन्तर्गत स्ट्रीट लाईटों के अनुरक्षण कार्य हेतु स्ट्रीट लाईटों एवं सम्बन्धित विद्युत सामग्री को क्रय किये जाने का कार्य।	77.89	1,56,000.00	5000+900	03 माह	"विशिष्ट श्रेणी"	दिनांक 12.11.2026 को सायं 05 : 00 बजे तक	दिनांक 13.11.2026 को पूर्वान्ह 11 : 00 बजे एम0डी0ए0 मीटिंग हॉल

*नियम व शर्तों का क्रमांक 11 देखें

नियम व शर्तें :–

1. निविदा मूल्य व जमान (धरोहर) धनराशि ऑनलाईन पोर्टल URL https://mdambd.procure247.com के माध्यम से जमा कराते हुए प्राप्त सम्बन्धित भुगतान रसीदों की स्कैन कॉपी ई–निविदा के साथ अपलोड़ करना अनिवार्य होगा। उक्त धनराशि उपरोक्त लिंक से RTGS/NEFT के माध्यम से ही जमा करनी होगी तथा भुगतान का कोई अन्य माध्यम स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित निविदा शुल्क या धरोहर धनराशि प्राधिकरण खाते में निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा मूल्य की जमा धनराशि किसी भी दशा में वापिस नहीं की जायेगी।
2. यदि किसी कारणवश निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होता है तो उसके ठीक अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जायेगी।
3. निविदादाता को आयकर विभाग, एवं जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है। शासन द्वारा समय–समय पर लागू आयकर, लेबर सेस एवं अन्य करों की कटौती पूर्व की भाँति ठेकेदार के बिलों से नियमानुसार की जायेगी। जी0एस0टी0 नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
4. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
5. निविदादाता कृपया स्वयं स्थल देख लें और सही स्थिति से संतुष्ट होने के बाद ही निविदा में दरें अंकित करें। निविदा में दी गयी दरें 90 दिन तक मान्य होगी।
6. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा समय–समय पर लगाये गये करों सहित नियमानुसार अन्य कटौतियाँ लोक निर्माण विभाग व शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार फर्म/ठेकेदार के चलित देयक से की जायेगी।
7. जो निविदादाता अपनी दरें बी0ओ0क्यू0 की दरों से 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरें अंकित करते हैं, उन्हें बी0ओ0क्यू0 से 10 प्रतिशत निम्न तक 0.5 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न दरों पर 1.00 प्रतिशत प्रति 01 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी जमा करनी होगी।
8. निविदा स्वीकृतिकी दशा में निविदादाता को भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम–1996 के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व श्रम विभाग में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को निविदा में दर्शित मदों के समान प्रकृति के कार्य का अनुभव संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न न होन की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा सूचना प्राधिकरण की बेवसाइट www.mdamoradabad@up.gov.in पर एवं निविदा प्रपत्र ई–पोर्टल http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। निविदाओं के सम्बन्ध में कोई भी संशोधन/परिमार्जन/परिवर्तन व अतिरिक्त सूचनाऐं ई–पोर्टल http://etender.up.nic.in पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। अतः इच्छुक निविदादाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त ई–पोर्टल को समय–समय पर देखते रहें।
11. "विशिष्ट" श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्य हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/शासकीय विभाग में पजीकृत फर्मे निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। प्राधिरकण मे अपंजीकृत सफल निविदादाता को मु0वि0प्रा0, मुरादाबाद में उपयुक्त श्रेणी में निर्धारित अर्हताओं जिसका विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न पंजीकरण नियमावली में दिया गया है, की पूर्ति करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में पंजीकृत फर्मो को निविदा के साथ नवीनीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. प्राधिकरण द्वारा तकनीकी बिड के आंकलन के समय निविदादाता द्वारा न जमा किया गया ऐसा कोई अभिलेख जो निविदा प्रक्रिया को Materially प्रभावित न करता हो की मांग निविदादाता से की जा सकेगी। निविदादाता, स्वयं कोई अभिलेख प्राधिकरण को अलग से प्रेषित नही करेगा, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में उससे सम्बन्धित अभिलेख जमा करने हेतु मांग न की जाये।

13. कार्य की मात्रा में कमी/बढोत्तरी अथवा विभाजित करने अथवा किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरूद्ध निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
14. निविदादाता द्वारा किये गये दसतावेजों/प्रमाण–पत्रों के गलत पाये जाने पर कार्य/अनुबन्ध की स्वीकृति को तत्काल निरस्त करते हुए ठेकेदार द्वारा जमा धरोहर/जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा ठेकेदार को कालीसूची में डाल दिया जायेगा।
15. स्टेट बार काउन्सिल में पंजीकृत व्यक्ति एवं आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यदि निविदादाता का सगा सम्बन्धी (First blood relation & their dependent) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत है तो उसे भी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
16. निविदादाता को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसका अथवा उसके पति/पत्नी का अथवा उसकें किसी भी पार्टनर अथवा पार्टनर के पति/पत्नी का निकट रिश्तेदार (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, भाई, बहन) मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं है। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल किया जायेगा।
17. आवेदनकर्ता को प्रस्तर–15 में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त एक शपथ–पत्र इस आशय से भी देना होगा कि उस का कोई निकट सम्बन्धी (माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी) किसी फर्म या कंपनी में भागीदार अथवा डायरेक्टर नहीं है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद में पंजीकृत ठेकेदार हो, और यदि ऐसा है तो समस्त विवरण अपने रिश्तेदार की फर्म अथवा कंपनी का उल्लेख करते हुये अपने आवेदन के साथ वर्णित करना आवश्यक होगा, साथ ही आवेदक को यह भी घोषण पत्र देना आवश्यक होाग कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार, सम्बन्धी या सम्बन्धी की फर्म या कंपनी भाग नहीं लगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटित है तो उसको भी समाप्त करते हुए उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण जब्त कर लें।
18. आवेदक या पंजीकृत किए जाने वाले ठेकेदार पर कम्प्लीशन एक्ट, 2002 के समस्त प्राविधान लागू होंगे और उनकी अव्हेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।
19. विद्युत कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत "क" श्रेणी/"क" श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस की प्रति निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा साथ ही निविदा/बी0ओ0क्यू0 के प्राविधान के अनुसार एल0ई0डी0 लाईट निर्माता कंपनी द्वारा जारी अधिकृत OEM प्रमाण–पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
20. विशिष्ट श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत कार्य हेतु किसी भी विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद/शासकीय विभाग में पजीकृत फर्मे निविदा में प्रतिभाग कर सकती है। फर्मों द्वारा अन्य किसी शासकीय विभागों में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा, साथ ही वैध ISO-9001:2015 गुणवत्ता प्रबन्ध प्रणाली प्रमाण–पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति अपलोड़ करना अनिवार्य होगा।
21. विद्युतीकरण के कार्य हेतु कार्य की गुणवत्ता/टाईम एण्ड कॉस्ट ओवर–रन के दृष्टिकोण से निविदादाता द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में गत 02 वर्षों के पूर्व में आवंटित/सम्पादित कार्यों को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर लिया गया है, इस आशय का शपथ–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। मार्ग प्रकाश व्यवस्था के अनुरक्षण एवं संचालन कार्य में अनुबन्धित फर्म को निर्धारित समयावधि तक समस्त अनुरक्षण कार्य फर्म/स्वयं के हर्जे खर्चे पर करना होगा। अनुरक्षण कार्य हेतु/सामग्री की क्षतिपूर्ति हेतु प्राधिकरण की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।
22. यदि कोई निविदादाता बिड रिगिंग/Bid Collusion में सम्मिलित पाया जाता है अथवा निविदा की स्वस्थ प्रतियोगिता की प्रक्रिया को किसी भी प्रकार से दूषित करता है, तो उसे प्राधिकरण द्वारा भविष्य में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में प्रतिभगा करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
23. सफल निविदादाता को प्राधिरकण द्वारा सूचित अवधि (10 दिन) में अनुबन्ध निष्पादित कराना आवश्यक होगा। विलम्बित अवधि, जो एक माह से अधिक न होगी, पर रु0 1000/– प्रति दिन की दर से दण्ड देय होगा। एक माह में भी अनुबन्ध निष्पादित कराने में असफल रहने पर प्राधिरकण द्वारा धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
24. अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी के प्रकरणों में सफल निविदादाता को प्राधिकरण अनुबन्ध निष्पादन हेतु सूचित अवधि में ही अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉरमेन्स गारण्टी जमा करानी होगी। सूचित अवधि से विलम्ब की स्थिति में वांछित धनराशि जमा न करने पर इस धनराशि पर 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दण्ड देय होगा, जिसकी अधिकतम अवधि एक माह होगी। एक माह में भी अनुबन्ध निष्पादित कराने में असफल रहने पर प्राधिकरण द्वारा धरोहर राशि जब्त करते हुए निविदा की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। दण्ड की यह धनराशि क्रमांक 24 में वर्णित धनराशि के अतिरिक्त होगी।

प्र0 मुख्य अभियन्ता
मु0वि0प्रा0

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :–

1. उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 को सादर अवलोकनार्थ।
2. सचिव, मु0वि0प्रा0 को सादर अवलोकनार्थ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मु0वि0प्रा0 को सूचनार्थ।
4. विज्ञापन प्रभारी को नियमानुसार प्रकाशन हेतु तथा प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्रों की प्रति अधिशासी अभियन्ता(वि0/यॉ0) कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड चस्पा करने हेतु।

30/10/25
प्र0 मुख्य अभियन्ता

Digitally signed by AKASH
Date: 2026.11.01 11:10:41 IST
Location: Uttar Pradesh-UP